

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 02 अगस्त, 2019

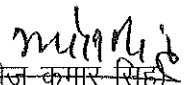
विषय:- सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों के पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/02/31/2018/एफ.सी/241 दिनांक 14.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट एवं अधीशासी अभियंता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी सोनभद्र, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भा०स० द्वारा मांगी गयी सूचना का अविलम्ब निस्तारण कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-4, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-4, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326596, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) gelmoefroike@gmail.com

दिनांक: 28.08.2019

पत्र सं० 8वीं/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./270

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण),
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उ० प्र० का पत्रांक-392/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016, दिनांक-26.08.2019.

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी। उक्त प्रकरण को दिनांक-02.07.2019 को आहत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्पन्नित किया गया था। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार क्षतिपूर्क वनरोपण की अनुपालना के सम्बंध में निदेशानुसार निम्नवत कहना है-

As per the recommendation of the Committee appointed by Hon'ble NGT in OA no. 521/2014, Compensatory afforestation on degraded forest land equal to double the forest area (980.40 ha.) released for Kanhar Irrigation Project by the Central Government was to be raised. Out of 2x980.40=1960.80 ha. 666 ha. has already been planted and a scheme of afforestation on degraded Forest land for balance 1294.80 ha. or 1295 ha. is to be submitted/implemented by the State Government.

अतः प्रकरण में अवन्त वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना स्वीकार की जा सकती है।

गवर्दीय,

(के० के० तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, कृषि भवन, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ० प्र०।
5. अधिशारी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रवली।

(के० के० तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 431 / 11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 29, 2019

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.08.2019 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को को भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.08.2019 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशारी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ० प्र०, लखनऊ।